न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी:– राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:– 349/2023
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए

1. अभिषेक राठी पुत्री पवन कुमार राठी जाति महेश्वरी वार्ड नं. 15 संगरिया जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1. पवन कुमार राठी पुत्र श्री नोरंग राठी जाति महेश्वरी वार्ड नं. 15 संगरिया।
2. सुरभी पुत्री पवन कुमार राठी जाति महेश्वरी वार्ड नं. 15 संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. नेहा पुत्री पवन कुमार राठी जाति महेश्वरी वार्ड नं. 15 संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री प्रमोद डेलू वकील वादी
2. श्री सुनील कुमार – वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया– राज–पैरोकार प्रति.संख्या 4

निर्णय

दिनांक :– 2.9.2024

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 पवन कुमार राठी के नाम से चक 6 एनजीआर जमाबंदी सं. 2078–2022 के खाता सं. 77/64 में 1.442 कुल हैक्टर कृषि भूमि इसी चक में खाता सं. 78/65 में कुल 10.626है. कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि 5.313है. कृषि भूमि विरास्तन दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसकी प्रमाणित जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। वादी पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पिता यानि प्रतिवादी सं. 1 पवन कुमार राठी के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो कि वादी व प्रतिवादीगण की विरास्तन प्राप्त कृषि भूमि है इसमें प्रतिवादी का विरास्तन हक जन्म से बनता है। इसलिए वादी एवं प्रतिवादीगण का उक्त कृषि भूमि को काश्त की सुविधा अनुसार घरू बंटवारा हो चुका है और घरू बंटवारा अनुसार ही वादी एवं प्रतिवादी की कब्जा काश्त चली आ रही है।घरू बंटवारा में वादी को प्राप्त कृषि भूमि निम्न प्रकार है।

चक 6 एनजीआर जमाबंदी सं. 2078–2022 के खाता सं. 77/64

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
169/2022	48	3/1, 3/2,8,9/1,9/2,10,11/1,11/2,12,13 कुल 1.442 है. मय गैर मुमकिन वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता

3 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि वादी प्रतिवादीगण की विरास्तन कृषि भूमि होने के कारण काश्त की सुविधा को लेकर अच्छी मंदी के अनुसार वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि के अनुसार घरू बंटवारा हो चुका है तथा वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि मुजे वादी को हिस्सा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.10 11:33:29
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

प्राप्त हुई है तथा घरू बंटवारा क रोज से ही हम वादी एवं प्रतिवादीगण की शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चली आ रही है। कब्जा काश्त को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। किन्तु वादी को घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 पवन कुमार राठी के नाम दर्ज होने के कारण रकबा राज व सीब बट को लेकर विवाद बना रहता है तथा वादी का बैंक ऋण व अन्य कार्य को लेकर परेशानी बनी रहती है। इसलिए मुताबिक घरू विभाजन वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन कराव कर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी व दावेदार है। वादी ने प्रतिवादी सं. 1 से कई बार निवेदन किया वह वादी को घरू बंटवारा में प्राप्त वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार मान कर इसी अनुसार वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन कर वादी का नाम अंकन करवा दो तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे किंतु गत सप्ताह वादी की बात मानने से कतई इनकार हो गए यही वाद कारण है। प्रतिवादीगण 2 व 3 वादी की बहन है। प्रतिवादी सं. 4 को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है, इनसे कोई अनुमोष नही चाहा गया है। वाद पत्र बाबत घोषणा का है जो उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है तथा अन्दर मियाद है व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

लिहाजा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न डिक्री फरमाया जावे कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज कृषि भूमि चक 6 एनजीआर जमाबंदी सं. 2078–2022 के खाता सं. 77/64 प.नं. 169/222 मु. नं. 48 कि.नं. 3/1,3/2,8,9/1,9/2,10,11/1,11/2,12,13 कुल 1.442 है. मय गैर मुमकिन कृषि भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन कर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर वाद को स्वीकार किया गया। जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी कपिल देव ने अपना शपत्र पत्र अन्तर्गत आदेश 18 [illegible] सीपीसी प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी [illegible] और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये [illegible] ने फार्म नं. 3 के साथ जमाबंदी चक 6 एनजीआर खाता सं. 77/64 [illegible] 2077–2064 एवं इसी चक के खाता संख्या 78/65 ज.स. 2072–2075 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श करवाई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K
Meena
Date: 2024.09.10 11:33:29 IS
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि वादी व प्रतिवादी सं. 2 ता 3 के पिता प्रति सं. 1 पवन कुमार वादी पुत्र श्री जीवन वादी जाति महेश्वरी वार्ड न. 15 [illegible] के नाम से चक 6 एनजीआर खाता सं. 77/64 ज.स. 2077 2084 एवं इसी चक के खाता संख्या 78/65 ज.स. 2072 2075 में दर्ज कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसकी जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। उक्त दर्ज कृषि भूमि हमारी जद्दी जायदाद है। वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य सहमति का जवाब दावा पेश हो चुका है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। तथा वादी व प्रतिवादी सं. 2 ता 3 के पिता प्रति सं. 1 पवन कुमार वादी पुत्र श्री नारायण वादी जाति महेश्वरी के नाम से चक 6 एनजीआर खाता सं. 77/64 ज.स. 2077 2084 एवं इसी चक के खाता संख्या 78/65 ज.स. 2072 2075 में दर्ज कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 वादी का पिता व प्रतिवादी सं. 2 ता 3 वादी की बहिन है। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग वादी के पक्ष में कर दिया है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य सहमति का जवाबदावा पेश हो चुका है। दस्तावेजी साक्ष्य से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में सहमति का जवाबदावा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाबदावा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि वादी को चक 6 एनजीआर जमाबंदी सं. 2072 75 जमाबंदी 2076 के खाता सं. 77/64 में 14420 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर, प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजद किये जाने के आदेश दिये जाते है। [illegible] जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 2.9.2024 को पर हस्ताक्षरित [illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K
Meena
Date: 2024.09.10 11:33:29
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
तहसीलदार एवं
सहायक कलेक्टर, [illegible]
[illegible]

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए
प्रकरण संख्याः– 349/2023

अभिषेक राठी पुत्री पवन कुमार राठी जाति महेश्वरी वार्ड नं. 15 संगरिया जिला हनुमानगढ़

वादी

बनाम

1. पवन कुमार राठी पुत्र श्री नोरंग राठी जाति महेश्वरी वार्ड नं. 15 संगरिया।
2. सुरभी पुत्री पवन कुमार राठी जाति महेश्वरी वार्ड नं. 15 संगरिया जिला हनुमानगढ
3. नेहा पुत्री पवन कुमार राठी जाति महेश्वरी वार्ड नं. 15 संगरिया जिला हनुमानगढ
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री प्रमोद डेलू वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री सुनील कुमार वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी को चक 6 एनजीआर जमाबंदी सं. 2072–75 जमाबंदी 2078 के खाता सं. 77/64 में 1.4420 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर, प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट :– यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....X.....नल.....X.....मुब्लिक.....X.....निल.....X.....बाबत्.....X.....निल.....X.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....X..... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 2.9.2024 को जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.10 11:33:29
Reason: SelfAttested